मि.नं. 69/16/2023 (RTA 88, 89, 188, 92, 53, 54)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/26	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप०। अदालत अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC सुनी गई। वकील वादी का मुख्य तर्क यह है कि वादी (लविश) आयु 8 वर्ष ने अपनी प्राकृतिक संरक्षिका माता किरण कुमारी पत्नी कालमुकुन्द मेघवाल के माध्यम से यह वाद RTA की धारा 88, 89, 188, 92, 53, 54 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित आराजी (ग्राम रीढ़ाईया व अन्य) उसकी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उसका जन्म से हक निहित है। वादी का आरोप है कि उसके पिता (प्रतिवादी सं. 15) ने उसकी माता का त्याग कर अन्य महिला से विवाह अवैध रूप से कर लिया है और अब वह सम्पत्ति को ~~खुर्द~~ खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहा है। प्रतिवादीगण का कथन है कि स्पष्ट वाद कारण नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। वादी द्वारा जीवित पिता की उपस्थिति में पोता द्वारा दादा के विरुद्ध विभाजन का वाद लाया गया है जो पोषणीय नहीं है। हमने पत्रावली का अद्यतन अवलोकन किया। ग्राम रीढ़ाईया में स्थित ख.नं. 1364/1425 की 0.65 हेक्टर प्रतिवादी क्र. 1 के शामलाती खाते की है। ख.नं. 1364 की 1.72 हेक्टर प्रतिवादी क्र.स. 13 व 14 के खातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रतिवादी 13 का हिस्सा 1/2 निहित है। ख.नं. 1115 की 0.65 हे. (खाता नं. 420) प्रतिवादी क्र. 13 के खाते की है। इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा में भी प्रतिवादी क्र. 1 के खातेदारी आराजी ख.नं. 191, 192, 193, 206, 207, 212, 213 कुल किता 7 कुल रकबा 2.64 हेक्टर भूमि दर्ज खाता है। ग्राम खेरवाड़ा स्थित प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा ~~एक~~ अरावड़ (ख.नं. 3423/3143 रकबा 0.11 में से) 1200 वर्गफुट का पंजीकृत	

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विक्रय पत्र दिनांक 15.2.2018 से क्रय किया गया है।
	वैवाहिक एवं पारिवारिक संदर्भ में निष्पादित शपथ-पत्र दिनांक 7/6/23 के अनुसार - सुनीताबाई पुत्री कन्हैयालाल जाति किराड़ निवासी रिछड़ीया तथा बालमुकुन्द पुत्र रघुनाथ जाति मेघवाल ने अपने विवाह की पुष्टि हेतु यह दस्तावेज नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया गया है।
	प्रस्तुत जमाबंदी की प्रतिलिपियों से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में कब्जा/स्वामित्व खसरा नं. 576/745, 835, 918 से परिवर्तित होता रहा है।
	सुनीताबाई का पूर्व विवाह सुरेश कुमार के साथ हुआ था, किन्तु पूर्व पति के दुर्व्यवहार/प्रताड़ना के कारण अब वह बालमुकुन्द के साथ पत्नी के रूप में रह रही है दोनों आपसी सहमति से वैवाहिक सम्बंध में है।
	प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC एवं 151 CPC दिनांक 14/10/2024 के अनुसार वादी द्वारा ख.नं. 1364/1425 रकबा 0.65 हैक्टेयर (सीदड़िया) में अधिकार मांगा है, वह प्रतिवादी नं. 13 की स्व अर्जित सम्पत्ति है राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में वादी का कोई हक या हिस्सा नहीं है खातेदार रघुनाथ के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति में हस्तक्षेप का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी का वाद पर्याप्त कारणों के अभाव में आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज योग्य है।
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की जाती है:-

1. क्या वादी को प्रतिवादीगण की स्वअर्जित या संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है? (जिम्मे वादी)
2. क्या शपथ-पत्र दिनांक 7/6/2023 के आधार पर वादी के संरक्षक को प्रतिवादी की सम्पत्ति पर कानूनी दावा करने का अधिकार है? (जिम्मे वादी)

पक्षकारान के तर्कों एवं दस्तावेजों के अवलोकन व विधिक विवेचन के उपरांत निष्कर्ष इस प्रकार है कि वादी की माता एवं कालूसिंह के मध्य निष्पादित शपथ-पत्र दिनांक 7/6/2023 व्यक्तिगत सम्बंधों की पुष्टि तो करता है परन्तु यह किसी अचल सम्पत्ति के मालिकाना हक को नहीं दर्शाता है। कानून के अनुसार "किसी भी खातेदार की जीवित अवस्था में उसके उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति में हिस्सा मांगने का अधिकार तब तक नहीं होता जब तक कि वह पैतृक सम्पत्ति न हो और उसमें जन्मजात अधिकार सिद्ध न हो जाता हो।"

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि (सम्पत्ति) मुख्य रूप से प्रतिवादी सं. 1 व 13 के नाम दर्ज है, जिसमें वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त सम्पत्ति में उसका कोई निहित स्वार्थ हक निहित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक विवेचन उपरांत प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत

P.T.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में [illegible]
	प्रा० पत्र दिनांक 14/10/2024 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं 151 जा.दी. "स्वीकार" किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आधारहीन एवं विधि-विरुद्ध होने के कारण "निरस्त" किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/4/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी चारु शर्मा I.A.S. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज०)	